

**राजस्थान सरकार**  
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**  
**(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)**

एफ 27(213) ग्रावि/मुप-5/पीएमएवाई-जी/अभि./तक. अनु.समिति/2018-19 जयपुर, दिनांक 13 जुलाई, 2018


**--:: संशोधित बैठक सूचना ::--**

विभागीय समसंख्यक बैठक सूचना दिनांक 11.07.2018 के द्वारा तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18.07.2018 को अपरान्ह 2.30 बजे समिति कक्ष, प्रथम तल, उत्तर पश्चिम भवन में आहुत की गई थी, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए यह बैठक यथा निर्धारित तिथि व समय पर अब वीसी कक्ष नम्बर 4220, द्वितीय तल, मुख्य भवन, सचिवालय में आयोजित होगी।

अतः बैठक में मुख्यालय स्तरीय सदस्य एवं जयपुर संभाग स्तरीय जिला परिषद के अधिशाषी अभियंता (अभि.) वीसी कक्ष नम्बर 4220, द्वितीय तल, मुख्य भवन सचिवालय में तथा शेष संभाग स्तरीय जिला परिषद के अधिशाषी अभियंता (अभि.) एनआईसी, वी.सी. के माध्यम से बैठक में उपस्थित होंगे। बैठक में निम्न अधिकारियों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है-

1. अतिरिक्त निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
3. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), महात्मा गाँधी नरेगा।
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), पंचायती राज।
5. निदेशक (तकनीकी), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा मनोनीत तकनीकी सदस्य।
6. प्रबन्ध निदेशक (EC) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि., ई-166, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर द्वारा मनोनीत तकनीकी सदस्य।
7. जयपुर संभाग स्तरीय जिले के अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद जयपुर, (विभागीय समिति कक्ष में)।
8. अन्य संभाग स्तरीय जिलों के अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर (वी.सी. के माध्यम से जिला मुख्यालय)।

कृपया बैठक में निर्धारित समय, तिथि एवं संशोधित स्थान पर उपस्थित होने का श्रम करें।

  
(के. के. शर्मा)  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
4. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
5. जिला कलेक्टर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को भाग लेने के लिए निर्देशित करावें।
8. प्रबन्ध निदेशक (EC) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि., ई-166, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
9. निदेशक (तकनीकी), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), महात्मा गाँधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग।
12. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), पंचायती राज।
13. अधिशाषी अभियंता (अभि.) जिला परिषद, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर।
14. अधिशाषी अभियंता (टी.सी.), पंचायती राज को भेजकर लेख है कि प्रस्तावित सोलर लाईट के तकनीक मापदण्ड व मॉडलो आदि के प्रस्तुतीकरण (प्रजेंटेशन) करने का श्रम करें।
15. श्रीपाल यादव, तकनीकी निदेशक, एनआईसी, को निर्धारित समय पर वी.सी. के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने बाबत।
16. प्रोग्रामर, ग्रावि को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)